न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/01/2024	2024/21	23.04.2024	12.08.2024

लल्लूराम व अन्य बनाम सरकार व अन्य

रिव्यु प्रार्थना पत्र विरूद्ध राजस्व अपील संख्या 12/56/2021 निर्णय दिनांक 08.04.2024 ।

उपस्थितः–

01. श्री देवेन्द्र जैन, – वकील प्रार्थीगण
02. श्री आनंद सिंह – वकील अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने यह रिव्यु प्रार्थना पत्र विरूद्ध राजस्व अपील संख्या 12/56/2021 निर्णय दिनांक 08.04.2024 से व्यथित होकर पेश किया है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थी रामेश्वर दयाल की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि उपरोक्त अनुवानी प्रकरण का निर्णय दिनांक 08–04–2024 को न्यायालय श्रीमान द्वारा कर दिया गया है। प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 0.80 हैक्टेयर 30 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 31 रकबा 0.60 हैक्टेयर, 32 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 385 रकबा 0.54 हैक्टेयर वाके ग्राम कूण्डला तहसील टहला जिला अलवर राज० में स्थित है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर पर लगातार कदीमी बुजुर्गान के समय से अर्थात 70 सालो से चला आ रहा है जिसको किसी प्रकार से बेदखल नहीं किया गया है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में लल्लूराम वगैराह ने न्यायलय श्रीमान में अपील पेश की गई थी, जिस अपील का न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 08–04–2024 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में व प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है। जिसमें उक्त आराजी के कब्जाधारी व्यक्तियों को बेदखल करने का आदेश प्रदान किया गया है जो विधि विरूद्ध है। जब प्रार्थी को सुनवाई का अवसर ही नही दिया गया है तो प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की पालना किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए प्रकरण में प्रार्थी को सुना जाकर आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। ऐसी सूरत में आदेश को रित्यु किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। क्योंकि प्रार्थी को बेदखल किये जाने से प्रार्थी को भारी नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी न्याय से वंचित हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आलोच्य आदेश को रिव्यु करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया सीधे बहस करना चाहते हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट्स के द्वारा वक्त बहस यह कथन किया गया कि पत्रावली में हमको पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है और न ही सुना गया है। रिव्यू प्रार्थना पत्र में हमारे हक–हकूक निहित हैं। हमारे हित नियत हैं तो उसमें हमें पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जावे। अप्रार्थी/अपीलाण्ट्स वकील द्वारा यह कथन किया गया कि रिव्यू प्रार्थना पत्रधारी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा है और जानबूझकर मामले को लंबा खींचना चाहता है। इनके विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार, टहला द्वारा विधिवत कार्यवाही कर दिनांक 31.08.2020 को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित कर रखा है। इस आदेश के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्रधारी/रेस्पोडेण्ट्स द्वारा अभी तक कोई विधिवत अपील भी नहीं की गई है। वकील अप्रार्थी/अपीलाण्ट्स द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि हमारा प्रार्थना पत्र मात्र नायब तहसीलदार के आदेश की क्रियान्विति था। रिव्यू प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त तथ्य निहित नहीं है। यह राजकीय भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही मात्र है। इस रिव्यू प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। बहस पूर्ण।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। यह रिव्यु प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा निर्णिय मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 12/56/2021 में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2024 के संबंध में पेश किय गया है। न्यायालय हाजा में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत मूल अपील नायब तहसीलदार टहला तहसील राजगढ के प्रकरण संख्या संख्या 561/2020 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2020 की भौतिक रूप से पालना हेतु पेश की गई थी। नायब तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.2020 प्रकरण संख्या 561/2020 में विवादित खसरा न0 19,30,31,32,385 थे जिनकी किस्म सिवायचक/गै0 मु0 पहाड/बारानी 2/गै0मु0 राडा इत्यादि है जिन पर अतिक्रमियों द्वारा दीवार बनाकर एवं बाढ लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है। मूल अपील अतिक्रमियों द्वारा न की जाकर अन्य द्वारा की गई थी और केवल नायब तहसीलदार के आदेश की भौतिक रूप से पालना हेतु निवेदन किया गया था।

प्रकरण में नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रभावित पक्षकार द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। सार्वजनिक हित एवं नायब तहसीलदार के आदेश के अनुसार कार्यवाही करने के लिए अपील के रूप में प्रस्तुत की गई। जो पूर्व से ही न्यायालय में दिनांक 16.07.2021 से विचाराधीन थी। दिनांक 16.07.2021 से दर्ज होकर दोनों पक्षकारों को पर्याप्त अवसर बहस हेतु दिए जा चुके थे। समय–समय पर पत्रावली पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट दोनों पक्षकार उपस्थित रहे हैं। दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर भी पत्रावली पर उपलब्ध हैं। लंबे समय से एलआर एक्ट 91 की अपील विचाराधीन थी। पर्याप्त अवसर के बावजूद भी पक्षकार/रेस्पोडेन्ट्स रूचि नहीं ले रहे थे। प्रकरण में प्रभावित पक्षकार की कोई भी अपील नहीं थी। केवल सार्वजनिक हित में अन्य व्यक्तियों द्वारा नायब तहसीलदार टहला द्वारा निर्णय दिनांक 31.08.2020 की भौतिक रूप से क्रियान्विति के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि अपील की श्रेणी में भी नहीं आता। इसीलिए प्रकरण में विस्तृत फैसला लिखने की आवश्यकता नहीं थी। केवल नायब तहसीलदार टहला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.2020 की क्रियान्विति भौतिक रूप से सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने के साथ ही प्रकरण का निस्तारण किया गया था।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

रिव्यू प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार के कोई नए तथ्य निहित नहीं हैं। पक्षकारों को मूल पत्रावली में बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए थे। लंबे समय से प्रकरण विचाराधीन था। इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध होना चाहिए। रिव्यू प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का रिव्यु प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील शामिल मूल पत्रावली हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर